

165

39

प्रकाश क्रमांक R. 5077-दो/16

न्यायपालिका श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश न्यायपालिका, कैम्प रोड, म०प्र०



R 5077-दो/16

RS-201

मिर्जा वारेज बेग उम्र 86 वर्ष, तनय स्व. श्री अहमद बेग, पेशा पेशानर, निवासी यासास मस्जिद के बगलमे मोहल्ला कटरा रावा, थाना तिटी कौतवाली, तहसील हजूर, जिला रोवा, म०प्र० - निगरानीकर्ता

बनाम

रॉयल्टी का निष्ठा 15-2-16

- 1- श्रीमती अजीज फातमा उम्र 69 वर्ष, पत्नी स्व. श्री के.डी. बेग, पेशा घरकार्य, निवासी यासास मस्जिद के पास मोहल्ला कटरा, हाल मुकाम 20 रत्नागिरी बा. ब्याक राजाजी पुरम् लखनऊ उ.प्र. १३३
- 2- जरीना मिर्जा उम्र 43 वर्ष, पत्नी अवशाफ अहमद खान पुत्री स्व. श्री के.डी. बेग, पेशा घरकार्य, निवासी 20 रत्नागिरी बा. ब्याक र. राजापुरम् लखनऊ उ.प्र. १३३
- 3- हायजा मिर्जा पत्नी श्री मोहम्मद इकबाल खान, पुत्री स्व. श्री के.डी. बेग, उम्र 34 साल, पेशा घरकार्य, निवासी 29 हवाहा मस्जिद नियर लिली टाकीज जहांगीराबाद भीपाल म०प्र०

निगरानी निरस्त आदेश नजूल तहसीलदार तहसील नजूल रोवा, के प्र. क्र. 297/अ-6/15-14, अनादेश दिनांक 10.2.2016,  
 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० नू राजस्व संहिता 1959 ई. 1

मानववर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप यह है कि मोहल्ला कटरा रोवा स्थित प्लॉट क्र. 133 रकबा 2560 वर्गफुट एवं प्लॉट प्र. 29 रकबा 212 वर्गफुट

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक...297/2016/116..... जिला...बीना.....

.....मिर्जा बाहराम विरुद्ध अजीज खातून.....


1

2

3

15-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार पांडेय अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील नामदोल-बीना के प्रकरण क्रमांक 297/2016/116-14 में पारित आदेश दिनांक 10-02-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर बीना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-17 को कलेक्टर बीना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

  
सदस्य